कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 54 / 2024

वीरेन्द्र सिहं चौधरी पुत्र श्री समुद्र सिहं चौधारी निवासी 3 / 635 गोलपुरा रोड अग्रसेन स्कूल के पास, सुभाष नगर फेज II भरतपुर राज0 मो. नं. 9782634732

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 20.12.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट वीरेन्द्र सिहं चौधरी पुत्र श्री समुद्र सिहं चौधरी निवासी 3 / 635 गोलपुरा रोड अग्रसेन स्कूल के पास, सुभाष नगर फेज II भरतपुर राज0 की अपील लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 24 / 850 दिनांक 29.11.2024 से लोक सूचना अधिकारी से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर से पत्रांक एलआर / 2024 / 7486 दिनांक 10.12.2024 से जबाब / सूचना प्राप्त हुई, जो शामिल मिसिल की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अंकित किया है कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में तय समय सीमा में, पूर्ण विवरण अंकित करते हुये संशोधित स्पष्ट आवेदन किये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक एल.आर. / 2024 / 6741 दिनांक 06.11.2024 से जरिये डाक सूचित किया जा चुका है।

उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार चाही गई सूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर